



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 582 राँची, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संकल्प

7 दिसम्बर, 2022

विषय:- श्री सरवर आलम, निम्नवर्गीय लिपिक को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1543/वि० दिनांक-10.07.2004 के अनुसार उच्चवर्गीय लिपिक वेतनमान रू०-4000-6000 में दिनांक-10.07.2004 के प्रभाव से Re-designate करने के संबंध में ।

संख्या--02/भू०अ०परि०निदे०-76/2017-744-नि.रा/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत बन्दोबस्त कार्यालयों में लिपिक संवर्ग का वेतनमान रू०-4000-6000/- था । किन्तु कालान्तर में पंचम वेतन पुनरीक्षण कमिटी के अनुशंसा के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3385 दिनांक-20.06.2001 के आलोक में निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान रू० 3050-4590) के पद पर ही नियुक्ति हेतु समेकित रूप से निर्णय संसूचित किया गया । उक्त के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक-255-I दिनांक-13.10.2003 द्वारा श्री आलम की नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रू० 3050-4590 में की गई ।

2. वाद संख्या- WP (S) No.-7624/2012 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-29.10.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की दिशा में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1543 दिनांक-10.07.2004 के आलोक में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के क्रम में सर्वश्री प्रभात कुमार प्रभात (नियुक्ति तिथि 13.12.2003), लिपिक एवं श्री रविन्द्र कुमार (नियुक्ति तिथि 13.12.2003), लिपिक को दिनांक-10.07.2004 के प्रभाव से उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर re-designate करते हुए वेतनमान 4000-6000 एवं तदनुसार उनके वेतनादि का लाभ देने संबंधी निर्णय राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के तार्किक आदेश सह जापांक-202, दिनांक-17.09.2014 द्वारा संसूचित किया गया ।
3. विषयगत सदृश्य मामले में वित्त विभाग के परामर्शानुसार, श्री प्रभात कुमार प्रभात के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ की गयी कार्रवाई के अनुरूप श्री सरवर आलम, निम्नवर्गीय लिपिक, बन्दोबस्त कार्यालय, हजारीबाग को दिनांक-10.07.2004 के प्रभाव से उच्च वर्गीय लिपिक के पद पर re-designate करने की कार्रवाई करने हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को निदेश दिया गया । उक्त के आलोक में बन्दोबस्त कार्यालय, हजारीबाग के आदेश जापांक-88-I दिनांक-27.07.2018 द्वारा श्री आलम को उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 में re-designate किया गया है ।
4. इस बीच कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा श्री आलम का वेतन विपत्र पर आपत्ति दर्ज करते हुए वेतन विपत्र रोक दी गई है । श्री आलम के मामले में विभाग के स्तर से ही निर्णय ले लिया गया, जबकि उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में तथा अनुमान्य वेतनमान संबंधी निर्णय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1543, दिनांक-10.07.2004 के आलोक में लिपिक को उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 4000-100-6000 में re-designate करने संबंधी निर्णय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेक्षित था ।
5. अतएव श्री प्रभात कुमार प्रभात के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ की गई कार्रवाई के अनुरूप श्री सरवर आलम को दिनांक-10.07.2004 के प्रभाव से उच्चवर्गीय लिपिक के पद (वेतनमान 4000-100-6000) पर re-designate किया जाता है एवं तदनुसार उनके वेतनादि का लाभ अनुमान्य किए जाने हेतु सक्षम स्तर से वेतन निर्धारण का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा ।
6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख जापांक-835/नि.रा.दिनांक- 25.11.2022 के क्रम में दिनांक-01.12.2022 की बैठक में मद संख्या-17 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।
